30.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार लालसोट से मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए नायब तहसीलदार लालसोट के निर्णय दिनांक 18.02.2026 को निरस्त फरमाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड फरमाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 18.02.2026 को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकारान की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार लालसोट से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.03.2026 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अतिक्रमी द्वारा पूर्ण अतिक्रमण हटा लिया गया है। अतः अब प्रकरण को चलाने का औचित्य नहीं रह जाता है। न्यायालय की राय में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 18.02.2026 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तथा नायब तहसीलदार का शेष निर्णय दिनांक 18.02.2026 यथावत् रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर
लालसोट (दौसा)